विभाग का नाम	**लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या**	भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) का वर्ष	कार्यान्वयन हेतु लबित कंडिकाए	कंडिकाओं की सख्या	कुल सख्या
योजना एवं विकास विभाग Planning & Dev. Deptt.	466	1998-99	3.18	1	2
		2001-02	3.9	1	

प्रकाशन संख्या-475

बिहार विधान-सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या-466

योजना एवं विकास विभाग, बिहार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1987-88 I, 1998-99 एवं 2001-02 की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन ।

[दिनांक 29.07.09 को सदन में उपस्थापित ।]

प्रतिवेदन

1987-1988

कंडिका विवरण

अध्याय-I सी०ए०जी० अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) पृष्ठ संख्या 162 एवं 163

योजना विभाग

1.30 निरर्थक व्यय

निदेशक, सांख्यिकी और मूल्यांकन, बिहार, पटना ने बम्बई के एक फार्म से, अप्रैल 1979, में 4 छेदक और अप्रैल 1980, में दो प्रमाणकों (मेरीफायर) को खरीद 2.41 लाख रुपये की लागत पर की जिसकी आवश्यकता राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों का भारत सरकार के योजना आयोग का अपूरित करने के लिए संकलन, विश्लेषण और सारिणीयन करना था । विभाग ने इनके रख-रखाव के लिए 2,240 रुपये प्रतिमाह की लागत पर फर्म से एक अनुबंध भी किया और उससे 7,614 रुपये प्रतिमाह किराए पर एक सारणीयंत्र और एक सार्टर लिया (अप्रैल 1980) अनुबंध की शर्तों के अनुसार फर्म उपकरण के अधिष्ठापन के तीन वर्ष बाद, किराया बढ़ाने के लिए अधिकृत था । सभी उपकरण जुलाई 1981 में अधिष्ठापित और चालू किए गए । उपकरणों के उपयोग में विलम्ब का कारण विभाग ने मशीन कक्ष में वातानुकूलन सुविधा और ऊर्जा सम्बन्धन का अभाव बताया ।

मशीनों, जिसमें किराये पर लिया गया, भी सम्मिलित है, ने मार्च 1984 से, ऊर्जा आपूर्ति में बाधा तथा कम वोल्टेज के कारण कार्य करना बन्द कर दिया था । अक्टूबर 1984 में ठेके की शर्तों के अनुसार फर्म ने किराए की मशीनों और छेदक तथा सत्यापक के रख-रखाव लागत में क्रमशः 10 से 40 प्रतिशत की वृद्धि कर दी । फर्म द्वारा किराए एवं रख-रखाव लागत में वृद्धि की मांग को स्वीकार नहीं करने का निश्चय सरकार ने नवम्बर 1984 में किया । निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन ने रख-रखाव ठेके को रद्द करने तथा किराए की मशीनों को लौटाने की शीघ्र कार्रवाई नहीं की, 20 मार्च, 1986 से रख-रखाव के ठेके को रद्द किया तथा मई, 1986 में किराए की मशीनों को लौटाया । विलम्ब के फलस्वरूप फरवरी, 1986 से मार्च, 1988 के दौरान किराए की मशीनों पर (1.98 लाख रुपये) तथा मार्च, 1984 से अप्रैल, 1986 के दौरान असंचालित छेदक और सत्यापक के रख-रखाव शुल्क पर (0.55 लाख रुपये) कुल 2.53 लाख रुपये का निरर्थक व्यय हुआ ।

बेकार पड़े छेदक एवं सत्यापक को व्यवहार में लाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई (अप्रैल 1988) तकनीकी कर्मचारियों (एक सहायक सांख्यिकी अधिकारी, एक सारणीयक, एक सार्टर और 5 छेदक तथा सत्यापन संचालकों) जिनकी सेवायें मशीनों के संचालन के लिए था, की सेवाओं का उपयोग हस्तचालित सारणीयन कार्य के लिए, जो तकनीकी कर्मचारियों द्वारा कराया जा सकता था, उपयोग किया गया । फलस्वरूप तकनीकी मानवशक्ति का अनुचित उपयोग किया गया ।

मामले की सूचना मई, 1988 को सरकार को दी गयी थी, उत्तर अपेक्षित है । (मई 1989) ।

विभागीय स्पष्टीकरण

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वर्ष 1987-88 (सिविल) खंड । की कंडिका 1.30 का अनुपालन प्रतिवेदन ।

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय में यांत्रिक पटलांकन के लिए 70-80वें दशक में हालरिथ सौर्टर मशीन लभ्य था । 80वें दशक में वर्षों पूर्व इन मशीनों का उपयोग असंभव हो गया था क्योंकि वे मशीनें आउट डेटेड हो गयी थी और उनका व्यवहार संभव नहीं था । इन मशीनों के उपयोग के लिए छिद्रक एवं सत्यापक यंत्रों का उपयोग सहायक यंत्र की तरह किया जाता था, परन्तु सौर्टर एवं टेबुलेटर मशीन आई०सी०आई० एम० कलकत्ता से किराये पर लिया गया था । इन मशीनों की आवश्यकता राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के संकलन, सारणीयन एवं विश्लेषण हेतु थी । किराये पर लिए गये यंत्रों का किराया अनुबंध के अनुसार प्रति माह 2,240 (दो हजार दो सौ चालीस) रुपये की दर से भुगतान किया गया और इस अवधि में यंत्र का उपयोग भी किया गया ।

वर्ष 1984 से विद्युत ऊर्जा आपूर्ति में बाधा एवं समुचित वोल्टेज के अनुपलब्धता के कारण विभागीय मशीनों में ने कार्य करना बन्द कर दिया था । फलतः मार्च, 1984 के बाद मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सका । फर्म द्वारा किराया के मशीनों के किराया में दस से चालीस प्रतिशत की वृद्धि करने की मांग की परन्तु सरकार द्वारा किराया वृद्धि की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया । नवम्बर, 1984 में मशीन लौटाने का अन्तिम निर्णय लेने में हुए विलम्ब के कारण सरकार को बिना जरुरत के ही 2.53 (दो लाख तिरपन हजार) रुपये का भुगतान करना पड़ा जिसे भारत के महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में निरर्थक व्यय दर्शाया गया ।

वर्ष 1998 में लोक लेखा समिति की बैठक में मशीन वापस करने में हुए विलम्ब के लिए संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था ।

विभागीय स्तर पर की गई कार्रवाई में श्री जगदीप सिंह, तत्कालीन सहायक एवं राम इकबाल शर्मा, तत्कालीन सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जो क्रमशः 30 सितम्बर, 1995 एवं 31 मार्च, 1993 को सेवानिवृत हो चुके हैं, को मशीन वापसी की कार्रवाई में विलम्ब के लिए दोषी पाया गया है । परन्तु पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) के अन्तर्गत इन कर्मचारी एवं पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई संभव नहीं था, चूंकि इनके सेवानिवृति की अवधि तीन वर्षों से अधिक हो गयी थी ।

राशि वसूली की कोई संभावना नहीं रहने की स्थिति में इस राशि के अपलेखन के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । साथ ही लगभग 18-20 वर्षों पूर्व की कार्रवाई की तथ्यपरक समीक्षा व्यावहारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है ।

अतएव उपरोक्त वर्णित स्थिति में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कंडिका 1.30 में उठायी गयी आपत्ति को विलोपित किया जाय ।

समिति का निष्कर्ष/अनुशंसा

वित्त विभाग से प्राप्त राइट ऑफ का कागजात समिति को उपलब्ध करा दें और भविष्य में इस तरह की गलती नहीं हो, ऐसे मामले में पदाधिकारी चुस्त रहें, इसी निदेश के साथ समिति ने दिनांक 31 जुलाई, 2007 की बैठक में इस कंडिका आपत्ति को निष्पादित किया ।

1998-1999

कंडिका-विवरण

अध्याय-3 सी०ए०जी० अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) पृष्ठ संख्या-151, 152 एवं 153

3.18 अधूरे कार्यों पर निष्फल व्यय

जिला योजना कार्यालय, सिवान एवं गोपालगंज के लेखापरीक्षा (मई और जून, 1998) के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 1986-87 से 1995-96 के दौरान 78 लाख रुपये की कुल आकलित राशि पर सड़कों, नालों तथा भवनों से संबंधित 23 विकास कार्य/योजना शुरू की गयी थी। ये सभी योजनाएं अधूरे पड़े थे, जब कि इन योजनाओं पर 42.43 लाख रुपये (44 प्रतिशत) खर्च किए गए थे, जैसा कि नीचे वर्णित है--

क्र०सं०	वर्ष	ली गई योजनाएं (संख्या में)	योजना का विवरण	आकलित लागत	अब तक का व्यय (लाख रु० में)	अभ्युक्ति
			सिवान			
1	1986-87	4		4.19	3.57 (85)	
2	1987-88	2		2.39	1.37 (57)	
3	1988-89	1		15.75	1.24 (8)	
4	1989-90	5		8.16	2.82 (35)	
5	1990-91	1		4.79	3.15 (66)	
6	1993-94	1		1.57	1.25 (80)	
7	1994-95	1		4.81	4.46 (93)	
योग		15		41.66	17.86 (43)	
			गोपालगंज			
8	1987-88	6	ईंट सोलिंग	29.00	21.54 (74)	मिट्टी कार्य, ईंट सोलिंग, छोटे पुलिया का निर्माण।
9	1988-89	2	ईंट सोलिंग सड़क	7.34	3.03 (41)	वही
योग		8		36.34	24.57 (68)	
कुल योग		23		78.00	42.43 (54)	

(कोष्ठक में दिए गए अंक प्रतिशत दर्शाते थे)

अधूरे कार्यों को 5 से 12 वर्षों तक छोड़े जाने से क्षति एवं छीलन का जोखिम था। यह भी देखा गया कि सिवान जिले में 3.59 लाख रुपये का निधि क्रियान्वयन अधिकरणों के पास अव्यवहृत पड़े थे और 1.72 लाख रुपये की राशि असैनिक जमा में पड़े थे।

जिला योजना पदाधिकारी ने बताया की निधि की कमी के कारण कार्य पूर्ण नहीं हुए थे । हालांकि यह स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 21.45 लाख रुपये की निधि पूरी तरह व्यवहृत नहीं हुई थी और किये गये कार्य के हिस्से की भौतिक स्थिति का पता, बाकी बचे कार्यों को पूरा करने हेतु निधि की मात्रा का निर्धारण तथा उचित रूप से बनाये गये कार्य योजना के अनुसार कार्य को पूरा करने हेतु सरकार से निधि की प्राप्ति जिला योजना पदाधिकारी नहीं कर सके थे ।

गोपालगंज जिले के अधूरे निर्माण कार्य में मुख्यत: मिट्टी कार्य, ईट सोलिंग तथा छोटे पुलों का निर्माण शामिल था । जब कि अधिकांशत: मिट्टी का कार्य ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (ग्रा०अ०सं०) गोपालगंज द्वारा पूरे किए गए और सिर्फ 20 प्रतिशत ईट कार्य किये गये थे । इन योजनाओं का कार्य कार्यपालक अभियंता, ग्रा०अ०सं० प्रमंडल गोपालगंज द्वारा वर्ष 1997-98 में 46.11 लाख रुपये (21.54 लाख रुपये और 24.57 लाख रुपये) खर्च करने के बाद निधि की कमी के कारण निलम्बित कर दिया गया था, हांलाकि, मिट्टी एवं ईट सोलिंग का कार्य छीलन एवं बरबाद होने के लिए छोड़ दिया गया था । कार्यपालक अभियंता ने किए गए कार्य की भौतिक स्थिति का निर्धारण नहीं किया था, बाकी बचे कार्यों का आकलित लागत का निर्धारण नहीं किया था और एक समय सीमा के अन्दर बाकी बचे कार्यों को पूरा करने हेतु निधि की प्राप्ति के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की थी ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (मई और जून, 1999) उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 1999) ।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कंडिका में सिवान जिले की 15 योजना एवं गोपालगंज जिले की 8 योजनाओं की चर्चा है ।

सिवान जिले में वर्ष 1986-87 से 1995-96 के बीच 15 योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया । जिसमें 6 योजनाएं पूर्ण कर ली गयी है । शेष 9 योजनाओं को यथास्थिति में बन्द करने के लिए दिनांक 7 अक्टूबर, 1998 को आयोजित जिला योजना एवं विकास विभाग के बैठक में निर्णय लिया गया है ।

गोपालगंज जिले में वर्ष 1987-88 से 1988-89 के बीच 8 योजनओं का कार्यान्वयन किया गया । इन योजनाओं का कार्य अन्य मद से राशि प्राप्त कर कार्य पूर्ण करा लिया गया है । ये सभी योजनाएं पथ निर्माण की है । इन पथों का उपयोग आवागमन के लिए किया जा रहा है ।

समिति का निष्कर्ष/अनुशंसा

दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 की बैठक में समिति ने इस कंडिका को इस निदेश के साथ ड्राप किया गया है कि विभाग अपने स्तर से समीक्षा करके तीन माह के अन्दर क्या कार्रवाई हुई और क्या अद्यतन स्थिति है, उससे समिति को अवगत कराये ।

2001-2002

कंडिका विवरण

अध्याय-3 सी०ए०जी० के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) पृष्ठ संख्या-84-85

3.9 अधूरे तथा परित्यक्त जिला योजनागत योजनाओं पर अलाभकारी व्यय 48.49 लाख रुपये

निधि की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बगैर योजनाओं को प्रारम्भ किए जाने के फलस्वरूप जहानाबाद जिले में 35 अधूरे एवं परित्यक्त योजनाओं पर 48.49 लाख रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ ।

जिला योजना एवं विकास परिषद् (डी०पी०डी०सी०) द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद जिला समाहर्त्ता द्वारा विभिन्न जिला योजनागत योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई । जिला समाहर्त्ता को जिला योजनाओं के अन्तर्गत योजनाओं को उनके प्रशासनिक तकनिकी तथा वित्तीय औचित्य का आकलन करने बाद शुरू किया जाना था ताकि चयनित योजनाओं को उसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जा सके ।

जिला योजना पदाधिकारी, जहानाबाद के अभिलेखों के संवीक्षा से प्रकट हुआ (जनवरी 2002) कि जिला योजनागत योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1996 तक जिला समाहर्त्ता, जहानाबाद द्वारा पुलों, सामुदायिक भवन, नाला के निर्माण, हैंड पम्प लगाना, सड़क निर्माण आदि से संबंधित 47 योजनाओं को स्वीकृत किया गया । इसमें से मार्च, 1996 तक चलाई गई 35 योजनाओं (आकलित लागत 84.25 लाख रुपये) को डी०पी०डी०सी० द्वारा निधि के अभाव में छोड़ दिया गया (सितम्बर 1996) ये सभी योजनाएं मई, 2002 तक अपूर्ण थे, जबकि इन अपूर्ण एवं परित्यक्त योजनाओं पर 48.49 लाख रुपये का व्यय हो चुका था । इन योजनाओं के पूर्णता की कोई संभावना नहीं थी ।

इस प्रकार निधि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बगैर बड़ी संख्या में जिला योजनगत योजनाओं को चलाने का अनुचित निर्णय के फलस्वरूप इनको बीच में ही छोड़ देना पड़ा तथा 48.49 लाख रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ । इन योजनाओं को पुनर्जीवित करने का कोई प्रस्ताव नहीं था । अतः 48.49 लाख रुपये का सकल व्यय निरर्थक साबित हुआ क्योंकि इन अपूर्ण योजनाओं को शुरू करने की कोई योजना नहीं थी ।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (जून 2002) उनके उत्तर अप्राप्त थे । (सितम्बर 2003)

<u>विभागीय स्पष्टीकरण</u>

जिला योजना अनाबद्ध निधि से मार्च, 1996 तक चलाई गई एवं कुल योजना में से जिला योजना एवं विकास परिषद् द्वारा 35 स्थगित योजनाओं पर अंकेक्षण दल द्वारा उठाई गई आपत्ति के संबंध में संबंधित कार्यकारी एजेन्सियों से अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्यार्थ भेजी जा रही है । कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 35 स्थगित योजनाओं में से चार योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका, जिससे राशि वापस की कार्रवाई की जा रही है । शेष 31 योजनाओं पर उपलब्ध करायी गयी राशि से कराये गये कार्य से आम जनता संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार लाभान्वित हो रही है ।

<u>समिति का निष्कर्ष/अनुशंसा</u>

दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 की बैठक में समिति द्वारा इस कंडिका को इस निदेश के साथ ड्राप किया गया है कि जो योजना अब भी अपूर्ण है, उनको तीन माह के अन्दर पूरा किया जाय, जिनके यहां जो राशि बची हुई है उसके लिए जिम्मेदारी फिक्स की जाय और उनसे रिकवरी की कार्रवाई की जाय ।

पटना :
दिनांक 4 जून, 2009

अब्दुल बारी सिद्दिकी,
सभापति,
लोक लेखा समिति ।

परिशिष्ट-'क'

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

पत्रांक-स्था.1/13-18/01/2507 पटना, दिनांक 29/12/06

प्रेषक,

बिजय प्रताप सिंह,
निदेशक ।

सेवा में,

श्री कमलेश्वर सिंह,
उप सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षण के वर्ष 1987-88 (सिविल) प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 1.30 विलोपन के संबंध में ।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 3657 दिनांक 30.11.2006

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षण के वर्ष 1987-88 (सिविल) प्रतिवेदन की कंडिका 1.30 के अनुपालन में अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर संलग्न की जा रही है, पूर्व में भेजे गये प्रतिवेदन की छाया प्रति भी संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने के लिए बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति की उप समिति (1) से अनुरोध करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

निदेशक

अनुलग्नक:- तीन पृष्ठ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वर्ष 1987-88 (सिविल) खंड- I की कंडिका 1.30 का अनुपालन प्रतिवेदन ।

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय में यांत्रिक पटलांकन के लिए 70-80 वे दशक में हालरिथ सौर्टर मशीन लभ्य था । 80 वें दशक में वर्षों पूर्व इन मशीनों का उपयोग असंभव हो गया था क्यों कि वे मशीनें Out dated हो गयी थी और उनका व्यवहार संभव नहीं था। इन मशीनों के उपयोग के लिए छिद्रक एवं सत्यापक यंत्रों का उपयोग सहायक यंत्र की तरह किया जाता था, परन्तु सौर्टर एवं टबुलेटर मशीन आई0सी0आई0एम0 कलकत्ता से किराये पर लिया गया था। इन मशीनों की आवश्यकता राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आँकड़ों के संकलन, सारणीयन एवं विश्लेषण हेतु थी । किराये पर लिये गये यंत्रों का किराया अनुबंध के अनुसार प्रति माह 2240/-(दो हजार दो सौ चालीस)रुपये की दर से भुगतान किया गया और इस अवधि में यंत्र का उपयोग भी किया गया।

वर्ष 1984 से विद्युत उर्जा आपूर्ति में बाधा एवं समुचित भोल्टेज के अनुपलब्धता के कारण विभागीय मशीनों ने कार्य करना बन्द कर दिया था। फलतः मार्च 1984 के बाद मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सका । फर्म द्वारा किराया के मशीनों के किराया में दस से चालीस प्रतिशत की वृद्धि करने की माँग की परन्तु सरकार द्वारा किराया वृद्धि की माँग को अस्वीकृत कर दिया गया । नवम्बर 1984 में मशीन लौटाने का अन्तिम निर्णय लेने में हुए विलम्ब के कारण सरकार को बिना जरुरत के ही 2.53(दो लाख तिरपन हजार) रुपये का भुगतान करना पड़ा जिसे भारत के महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में निष्फल व्यय दर्शाया गया ।

वर्ष 1998 में लोक लेखा समिति की बैठक में मशीन वापस करने में हुए विलम्ब के लिए संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।

विभागीय स्तर पर की गई कार्रवाई में श्री जगदीप सिंह, तत्कालीन सहायक एवं राम इकबाल शर्मा, तत्कालीन सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जो क्रमशः 30-09-1993 एवं 31-03-1993 को सेवानिवृत हो चुके है, को मशीन वापसी की कार्रवाई में विलम्ब के लिए दोषी पाया गया है । परन्तु पेंशन नियमावाली के नियम 43(बी) के अन्तर्गत इन कर्मचारी एवं पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई संभव नहीं था, चूंकि इनके सेवानिवृति को अबधि तीन वर्षों से अधिक हो गयी थी।

राशि वसूली की कोई संभावना नहीं रहने की स्थिति में इस राशि के अपलेखन के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। साथ ही लगभग 18-20 वर्षों पूर्व की कार्रवाई की तथ्यपरक समीक्षा व्यवहारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है।

अतएव उपरोक्त वर्णित स्थिति में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कंडिका 1.30 में उठायी गयी आपत्ति को विलोपित किया जाय।

निदेशक
सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय,
बिहार, पटना ।

[illegible] पत्र के पृष्ठ [illegible]

[illegible] विभाग

[illegible] संख्या सी-ए-टी/42-1/90 (भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक [illegible] 1987-88 [illegible] का उत्तर [illegible] है कि अधिकारी [illegible] मेकेनिकल [illegible] के लिए [illegible] 70-80 [illegible] ऑफसेट, ओरिएंट टेबुलेटर [illegible] था । [illegible] क्योंकि [illegible] और [illegible] । [illegible] [illegible] था परन्तु ओरिएंट एवं टेबुलेटर [illegible] । [illegible] दिनांक 7-11-84 को [illegible] प्राप्त हुआ था कि [illegible] ओरिएंट एवं टेबुलेटर के [illegible] । [illegible] पृष्ठ 35-32/[illegible] पर [illegible] में उपलब्ध [illegible] ।

[illegible] में [illegible] मोनोटाइप [illegible] 84 [illegible] । [illegible] पृष्ठ 9-12/[illegible] पर [illegible] है । [illegible] नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के आपत्तियाँ [illegible] और [illegible] उपस्थित होना पड़ा । [illegible] कि [illegible] कार्यवाही की जाए । कार्यवाही किये जाने हेतु [illegible] पृष्ठ 47-48/[illegible] [illegible] । [illegible] पृष्ठ 64-65/[illegible] पर [illegible]

पेंशन नियमावली के नियम 43 बी. के अन्तर्गत ही अब अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती है परन्तु सिविल पेंशन नियमावली के नियम 159 डी. तथा वित्त विभाग के प. सं. 975 दिनांक 19-1-76 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। [illegible] है कि वित्त विभाग के पत्रांक 975 दिनांक 19-1-76 के द्वारा पेंशन नियमावली के नियम 139 डी. को [illegible]-3 में [illegible] किया गया है। उक्त नियमों में यह कहा गया है कि

" The State Government reserve to themselves the powers of revising an order relating to pension passed by subordinate authorities under their control, if, they are satisfied that the service of the pensioner was not thoroughly satisfactory or that there was proof of grave misconduct on his part while in service. No such power shall, however, be exercised without giving the pensioner concerned a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to his pension, or any such power shall be exercised after the expiry of three years from the date of the order sanctioning the pension was first passed.

(2) After careful consideration, the Government has been pleased to decide that the pension sanctioning authority before passing any final order regarding reduction in the amount of pension or gratuity or both, shall serve upon the person concerned a notice specifying the reduction proposed to be made in such amount and the grounds therefore and call upon such person to submit, within fifteen days of the receipt of the notice or such further time, a may be allowed by that authority, such representation a such person may wish to make against the proposed reduction and take into consideration the representation; if, any submitted by such person before passing the final order

3- उपर्युक्त विवरणों के आलोक में पुनः अनुरोध है कि विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया जाय कि श्री जगदीप सिंह एवं श्री राम एकबाल शर्मा जो क्रमशः दिनांक 30-9-95 एवं 31-3-93 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के विरुद्ध दिनांक 14-3-86 एवं 7-11-84 को घटना के लिये किस प्रकार कार्रवाई की जा सकती है।

17/12/96

(ओंकारेश्वर प्रसाद)
नि दे श क,
सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय
बिहार, पटना

परिशिष्ट 'ख'

सं० यो० 02/1 (लो०ले०)/2006-3932-यो०वि०

योजना एवं विकास विभाग

प्रेषक

श्री कमलेश्वर गिरि,
सरकार के उप-सचिव ।

सेवा में

श्री मो० जैनुल,
उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 ई० ।

विषय-- वर्ष 1998-99 की कंडिका संख्या 3.18 का अनुपालन ।

महाशय,

दिनांक 28 नवम्बर, 2006 को सम्पन्न बिहार विधान-सभा की लोक लेखा समिति की उप-समिति (1) की बैठक में दिये गये निदेश की आलोक में प्रतिवेदन संलग्न करते हुए कहना है कि विवर्णाकित कंडिका में अधूरे कार्यों पर निष्फल व्यय का मामला उठाया गया है । इस कंडिका में सीवान जिले की 15 योजना एवं गोपालगंज जिले की 8 योजनाओं की चर्चा है ।

2. सीवान जिले में वर्ष 1986-87 से 1995-96 के बीच 15 योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया । जिसमें 6 योजनाएं पूर्ण कर ली गयी है । शेष 9 योजनाओं को यथास्थिति में बन्द करने के लिये दिनांक 7 अक्टूबर, 1998 को आयोजित जिला योजना एवं विकास विभाग के बैठक में निर्णय लिया गया है ।

3. गोपालगंज जिले में वर्ष 1987-88 से 1988-89 के बीच 8 योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया । इन योजनाओं का कार्य अन्य मद से राशि प्राप्त कर कार्य पूर्ण करा लिया गया है । ये सभी योजनाएं पथ निर्माण की है । इन पथो का उपयोग आवागमन के लिये किया जा रहा है ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर जिला योजना मद के राशि का निष्फल व्यय नहीं हुआ । योजनाएं लाभकारी है । कंडिका में उठाये गये आपत्ति को विलोपित करने की कृपा की जाय ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
कमलेश्वर गिरि,
सरकार के उप-सचिव ।

लोक लेखा समिति की उप समिति (।) के विचाराधीन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सं0-25/98-99 में उठाए गये आपत्तियों से संबंधित योजनाओं के वर्तमान भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन:-

निर्देशानुसार निम्नांकित 6(छः) योजनाओं का भौतिक सत्यापन किया, जो निम्नवत है:-

क्र.सं.	योजना संख्या एवं वर्ष	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	दी गई अग्रिम राशि एवं तिथि	खर्च की गई राशि	वर्तमान भौतिक सत्यापन
1	2	3	4	5	6	7
1.	45/87-88	महुआवाँ गाँव से पी. डब्लु. डी. तक ईंट सोलिंग 2.427 कि.मी. "भाग ए"	4,89,900=00	1,22,475=00/22.3.88 1,22,475=00/11.1.89 2,20,455=00/9.3.89 4,65,405=00	4,40,995=00	विक्रमपुर प्रखण्ड अन्तर्गत यह प्रखण्ड मुख्यालय से पश्चिम की ओर जाने वाली पी. डब्लु. डी. सड़क के साथ महुआवाँ ग्राम को जोड़ती है। माननीय राज्य सभा सदस्य श्री अनिल कुमार भी इसी ग्राम के निवासी हैं। म0 संसद सदस्य के मद से इस पथ में पी.सी.सी. करण कर वर्ष 01-02 में दिया गया है। ग्रामीणों के द्वारा इस पथ का उपयोग आवागमन के लिए किया जा रहा है।
2.	46/87-88	महुआवाँ गाँव से पी. डब्लु. डी. तक ईंट सोलिंग 2.073 कि.मी. "भाग बी"	4,66,300=00	1,16,575=00/22.3.88 1,16,575=00/11.1.89 2,09,835=00/9.3.89 4,42,985=00	4,42,985=00	तदैव

क्रम सं0	योजना संख्या एवं वर्ष	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	दी गई अग्रिम राशि एवं तिथि	खर्च की गई राशि	वर्तमान भौतिक सत्यापन
1	2	3	4	5	6	7
3.	49/87-88	हुसैपुर लक्ष्मीचक जगतौली पथ निर्माण 2.5 कि.मी.	4,92,600=00	1,23,150=00/22.3.88 1,23,150=00/11.1.89 2,21,670=00/9.3.89 4,67,970=00	योजना सं049/87-88 एवं 50/87-88 के लिए कुल व्यय 9,86,624=00	मोरे प्रखण्ड अन्तर्गत प्रखण्ड मुख्यालय से पुरब हुसैपुर जगतौली होते हुए उ0प्र0 की सीमा तक यह पथ निर्मित है। सम्पूर्ण पथ में ईंट का सोलिंग का कार्य किया गया है। जिला – योजना से जो भाग शेष रह गया था माननीय राज्य सभा सदस्य की मद से वर्ष 01–02 में पूर्ण कर दिया गया है। पथ ग्रामीणों के लिए काफी उपयोगी है एवं आवागमन जारी है। 03
4.	50/87-88	हुसैपुर लक्ष्मीचौर जगतौली पथ 2.5 कि.मी. "भागदी"	4,65,300=00	1,21,325=00/22.3.88 1,21,325=00/11.1.89 2,18,385=00/9.3.89 4,61,035=00		तदैव

क्रमांक	योजना सं0 एवं वर्ष	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	दी गई अग्रिम राशि एवं तिथि	व्यय की गई राशि	वर्तमान भौतिक सत्यापन
1	2	3	4	5	6	7
5.	51/87-88	ढेंकी कतरहा से बहुरा बाजार तक सड़क निर्माण 2.05 कि.मी. "भाग ए"	4,83,200=00	1,20,800=00/22.3.88 1,20,800=00/11.1.89 2,17,440=00/9.3.89 4,59,040=00		जुलबरिया प्रखंड अन्तर्गत ढेंकीकतरहा से बहुरा बाजार तक पथ में दो भाग उपेक्षित रह गया था, उसे सुनिश्चित रोजगार योजना से पूर्ण करा लिया गया है। पूरे पथ की लम्बाई लगभग 4. कि.मी. है। पथ में लगभग 200 गज में ईंट सोलिंग नहीं कराया गया है पथ ग्रामीणों के लिए काफी उपयोगी है। एवं आवागमन जारी है।
6.	52/87-88	ढेंकी कतरहा से बहुरा बाजार तक सड़क निर्माण 2.05 कि.मी. भाग "बी"	4,83,200=00	1,20,800=00/22.3.88 1,20,800=00/11.1.89 2,17,440=00/9.3.89 4,59,040=00		तदैव

योजना सं0 51/87-88 एवं 52/87-88 के लिए कुल व्यय 7,26,154=00

1	2	3	4	5	6	7
7.	39/88-89	कर्पूरा पश्चिम टोला मुहद नहर से होकर कर्पूरा पूरब टोला मुहदा नहर तक सड़क निर्माण।	3,67,750=00	91,750=00/2C 1.89	1,83,755=00	मांझा गढ़ प्रखंड अन्तर्गत यह पथ कर्पूरा ग्राम है जिसे बीच गुजरती है। कर्पूरा से पश्चिम टोला नहर के पास लगभग 200 फिट अवशेष भाग का निर्माण सुनिश्चित रोजगार योजना से कर दिया गया है। पथ की लम्बाई एक कि.मी. है। पुराने पथ में कहीं कहीं लगभग 100 गज में ईंट सोलिंग नहीं पाया है। यह पथ ग्रामिणों के लिए काफी उपयोगी है एवं आवागमन जारी है।
8.	43/88-89	प्रतापपुर शनिचरी बाजार से प्रतापपुर मस्जिद होकर गांव में जाने वाली सड़क का निर्माण।	3,67,000=00	91,750=00/2C 1.89	1,19,824=00	मांझागढ़ अन्तर्गत प्रतापपुर शनिचरी बाजार से प्रतापपुर मस्जिद तक अवशेष भाग का निर्माण मा0 सांसद श्री अब्दुल गफूर के मद से कर दिया गया है। पथ ग्रामिणों के लिए काफी उपयोगी है एवं आवागमन जारी है
			36,35,250=00	29,36,975=00	29,35,337=00	

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

[illegible] 31-मार्च-99 को समाप्त होनेवाले [illegible] प्रतिवेदन संख्या-89/98-99 के [illegible]

क्र०	योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	संस्थी का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	आवंटित राशि	व्यय	भौतिक स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	चंवर जल निकासी योजना, सैवानी, रघुनाथपुर	1986-87	कार्य० प्रमं०, लघु सिंचाई	1,55,460/-	1,55,460/-	1,35,460/-	अपूर्ण	दिनांक-7.10.98 को आयोजित जिला योजना एवं विकास परिषद के निर्णयानुसार योजना यथास्थिति स्थगित। विवरणी संलग्न।
2.	हरिजन सामुदायिक भवन, पकड़ी का भवन निर्माण, दरौंदा	1986-87	प्र० वि० स्वा० दरौंदा	96,400/-	96,400/-	96,400/-	अपूर्ण	पूर्व प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। राशि उपलब्ध होने पर कार्य पूर्ण किया जायेगा। विवरणी संलग्न।
3.	स्वास्थ्य उपकेन्द्र, [illegible] का भवन निर्माण, रघुनाथपुर	1986-87	कार्य० प्रमं०	71,000/-	71,000/-	40,262/-	अपूर्ण	शेष कार्य 60,250/- रु० के संशोधित प्राक्कलन पर पूर्ण किया गया है। विवरणी संलग्न।
		1999-2000	भवन प्रमंडल, सीवान	60,250/-	60,250/-	60,250/-	पूर्ण	
4.	हरिजन सामुदायिक भवन, [illegible] का भवन निर्माण, सिसवन	1987-88	प्र० वि० स्वा०, सिसवन	96,400/-	50,000/-	22,773/-	अपूर्ण	शेष कार्य 1,81,500/- रु० के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर पूर्ण कराया गया है। विवरणी संलग्न।
				1,81,500/-	1,81,500/-	1,47,784/-	पूर्ण	
5.	पशु चिकित्सालय, रघुनाथपुर का भवन निर्माण।	1987-88	जिला पशुपालन पदा० सीवान।	1,42,280/-	1,42,280/-	1,08,000/-	भौतिक रूप से पूर्ण	अंतिम भुगतान बाकि है। विवरणी संलग्न।
6.	पोस्ट ऑफिस से स्टेशन तक नाला निर्माण	1988-89	नगरपालिका, सीवान	12,10,492/-	8,07,532/-	8,07,532/-	अपूर्ण	07.10.98 की जिला योजना विकास परिषद की बैठक में [illegible] योजना को यथास्थिति बन्द कर देने का निर्णय लिया जा चुका है।
			लोक स्वा०प्र०, सीवान।	3,64,200/-	3,00,000/-	3,00,000/-	अपूर्ण	
7.	[illegible], भगवानपुर [illegible] किलो-मीटर पथ निर्माण, सिसवन	1989-90	कार्य० प्रमं० पथ प्रमंडल	1,80,990/-	1,25,000/-	13,062.74/-	अपूर्ण	[illegible] तदैव
8.	[illegible] सड़क निर्माण [illegible] सड़क निर्माण	1989-90	तदैव	2,46,400/-	1,00,000/-	14,695.83/-	अपूर्ण	तदैव
9.	हरिजन टोली से [illegible]-½ कि०मी० सड़क निर्माण, रघुनाथपुर।	1989-90	तदैव	71,600/-	50,000/-	33,735/-	अपूर्ण	तदैव
10.	सीवान शहर में [illegible] निर्माण	1989-90	कार्य० प्रमं०, लोक स्वा०प्र०	2,39,450/-	1,00,000/-	1,31,758/-	अपूर्ण	योजना [illegible] योजनान्तर्गत सम्मिलित कर लेने के कारण [illegible] को आयोजित जिला योजना एवं [illegible] योजना [illegible] बन्द [illegible] लिया गया। विवरणी संलग्न।
11.	स्वास्थ्य उपकेन्द्र, [illegible] का भवन निर्माण।	1989-90	प्र० वि० स्वा०, दरौली	70,000/-	35,000/-	20,000/-	अपूर्ण	राशि [illegible] संचित है। [illegible] होने पर [illegible]
12.	[illegible] भगवानपुर [illegible]	1990-91	प्र० वि० स्वा०, भगवानपुर	4,79,000/-	3,15,000/-	[illegible]	अपूर्ण	दि०-7. [illegible] परिषद [illegible] योजना को [illegible] बन्द कर देने का [illegible] गया है। विवरणी संलग्न।
13.	[illegible] भवन निर्माण	1990-91	कार्य० प्रमं०, भवन प्रमंडल	4,73,400/-	4,73,400/-	4,73,400/-	पूर्ण	
14.	[illegible] हरिजन टोली में सड़क पथ निर्माण।	1993-94	प्र०वि० स्वा०, मैरवा	1,57,000/-	1,53,000/-	1,52,265/-	पूर्ण	
15.	एन० के० [illegible] से [illegible] टोली तक [illegible]	1995-96	जिला परिषद, सीवान।	4,81,000/-	4,81,000/-	4,31,000/-	पूर्ण	

[illegible] पदाधिकारी,

नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-89/96-97 के अनुसार लम्बित -15- योजनाओं की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन ।

1. चंवर जल निकासी योजना, सैदानी, रघुनाथपुर :-

दिनांक-07.10.98 को जिला योजना एवं विकास परिषद की बैठक में योजना को यथा स्थिति बन्द करने का निर्णय लिया गया । बैठक की कार्यवाही अनुलग्नक-पर द्रष्टव्य है । निर्माण कार्य की संरचना में तोड़-फोड़ किये जाने के विरुद्ध कृत कारवाई की सूचना कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई, सीवान से पत्रांक-272, दिनांक-5.10.98 द्वारा मांगी गई । पुन: पत्रांक-354, दिनांक-14.12.98, पत्रांक-186, दिनांक-9.7.99 पत्रांक-264, दिनांक-27.11.99, पत्रांक-48, दिनांक-22.05.2000, पत्रांक-118, दिनांक-31.07.2000, पत्रांक-254, दिनांक-15.11.2002 द्वारा स्मार प्रेषित दिया गया है । परन्तु कृत कार्रवाई की सूचना कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई है । ~~इसमें मैसे अस्वधकर्ता की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है~~ । व्यय की गई राशि रु0-1,35,460/- रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त है । -

2. हरिजन सामुदायिक भवन, पकड़ी का भवन निर्माण, दरौंदा :-

योजना की प्राक्कलित राशि-96,400/- पूर्ववर्ती प्रखण्ड विकास पदाधिकारी दरौंदा का निलंबन किए जाने के बाद भी अपूर्ण प्रतिवेदित है । कार्य विशिष्टियों के अनुरूप नहीं होने का प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, एन0 आर0 ई0 पी0 के पत्रांक-22 दिनांक 7.5.93 से प्राप्त है, जिसकी अनुशंसा के आलोक में संबंधित अभियंता एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु गुण नियंत्रण सम्बन्धी जांच हेतु निदेशक, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, पटना को जिला योजना के पत्रांक-81, दिनांक-14.06.94 एवं पत्रांक-192, दिनांक-03.11.95 द्वारा अनुरोध किया गया । परन्तु जांच प्रतिवेदन अप्राप्त रहा ।

दिनांक-07.10.98 को जिला योजना एवं विकास परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार इस योजना के शेष कार्य को नया प्राक्कलन बना कर राशि उपलब्ध करा कर पूर्ण कराने का तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया । परन्तु गुण नियंत्रण प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है । जिला योजना एवं विकास परिषद की निर्णयानुसार प्राक्कलन एवं तकनिकी जांच प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, एन0 आर0 ई0 पी0 एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल द्वारा अक्टूबर-99 में प्रस्तुत किया गया । इस जांच-प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरान्त सुस्पष्ट प्रतिवेदन की मांग पत्रांक-73, दिनांक-15.6.2000 से की गयी तथा पत्रांक-141, दिनांक-19.8.2000, पत्रांक-14, दिनांक-31.1.2001, पत्रांक 89, दिनांक-20.4.2001, पत्रांक-116, दिनांक-8.6.2001, पत्रांक-228, दिनांक-9.10.02, पत्रांक-239, दिनांक-26.10.2002 द्वारा स्मारित किया गया । कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के अनुमण्डल पत्रांक-372, दिनांक-15.11.02 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है । राशि उपलब्ध नहीं है । विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर पूर्ण कराया जायगा ।

3. स्वास्थ्य उपकेन्द्र, डुमरा का भवन निर्माण, रघुनाथपुर :-

भवन निर्माण कार्य कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल को सौंपा गया था । कार्यपालक अभियंता, के पत्रांक-840, दिनांक-19.11.2002 द्वारा प्रतिवेदित है कि 40262/- का कार्य कराया गया एवं शेष राशि 30,738/- सिविल डिपोजिट में जमा हो जाने के कारण व्यय नहीं हो सका ।

दिनांक-07.10.98 की जिला योजना एवं विकास परिषद की बैठक में शेष-कार्य को पूर्ण करने का निर्णय हुआ । इस आलोक में शेष कार्य का संशोधित प्राक्कलन प्राप्त हुआ जिस पर 60,250/- रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है । -60,250/- रू0 व्यय पर कार्य पूर्ण हो चुका है । -60,250/- रू0 का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त है ।

4. हरिजन सामुदायिक भवन, भागर, सिसवन :-

96,400/- रू0 के प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर 50,000/- रू0 की - राशि एजेन्सी को दी गई । इस राशि के विरुद्ध मात्र 22,773/- रू0 का कार्य कराया गया ।

27,227/- रू0 की शेष राशि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा जिला - योजना को वापस की जा चुकी है। दिनांक-07.10.98 की जिला योजना एवं विकास परिषद के निर्णय के आलोक में भवन को पूर्ण कराने हेतु 1,81,500/- रू0 के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष-1999-2000 में दी गई । पूरी राशि एजेन्सी को उपलब्ध करा दी गई । कार्य भौतिक रूप से पूर्ण है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा 25,000/- रू0 की राशि सरकारी खजाने में जमा किराने के कारण अभिकर्त्ता का अन्तिम भुगतान नहीं हो सका है । -1,81,500/- रू0 की विमुक्त राशि के विरुद्ध 1,47,784/- रू0 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिसवन से प्राप्त है । भवन का कार्य पूर्ण प्रतिवेदित है ।

5. पशु चिकित्सालय, रघुनाथपुर का भवन निर्माण :-

इस योजना के कार्यकारी एजेन्सी जिला पशुपालन पदाधिकारी को 1,42,280/ रू0 की राशि उपलब्ध करा दी गई है । कार्य पूर्ण करने में विलम्ब के कारण एजेन्सी द्वारा द्वारा अभिकर्त्ता पर मुकदमा किया गया था । मुकदमा का निर्णय की सूचना स0 पी0पी0 द्वारा पत्रांक-शून्य, दिनांक-13.07.2001 द्वारा दी गई । न्यायालय द्वारा अभिकर्त्ता को बरी कर दिया गया है । अभिकर्त्ता द्वारा सूचना दी गई है कि निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है । इस भवन में पशु चिकित्सा कार्यालय चल भी रहा है । पत्रांक-66, दिनांक 11.03.2002 द्वारा कार्यपालक अभियंता, एन0 आर0 ई0 पी0 को अन्तिम मापी हेतु - निदेश दिया गया । पुन: पत्रांक-214, दिनांक-21.09.2002, पत्रांक-229, दिनांक-09.10.2002 तथा पत्रांक-236, दिनांक-26.10.2002 द्वारा कार्यपालक अभियंता, एन0 आर0 ई0 पी0 को स्मार दिया गया है । पत्रांक-236, दिनांक-26.10.2002 द्वारा कार्य0 अभियंता, जिला पशुपालन पदाधिकारी तथा अभिकर्त्ता को निदेश दिया गया था कि

था कि दिनांक-30. 10. 2002 को उपस्थित रहकर अभिलेख मापी पूर्ण कर लें । - 1,08,000/- रू० का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त है ।

~~कार्यपालक अभियंता [illegible] पत्रांक 373 [illegible] दिनांक 15.11.2002 [illegible]~~ ~~[illegible]~~ पत्रांक-. 236.... दिनांक 26.10.02. द्वारा कार्यपालक अभियंता, एन० आर० ई० पी० एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी को मापी करने का निदेश दिया गया है। कार्यपालक अभियंता ~~[illegible]~~ के पत्रांक-. 373..... दिनांक 15.11.2002. द्वारा लिखा गया है कि कार्यकारी एजेन्सी जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा उन्हें मापी पुस्त उपलब्ध नहीं कराया गया है । इस संबंध में जिला पशुपालन पदाधिकारी से [illegible] किया [illegible] है कि वे अभिलेख मापी पुस्तिका उपलब्ध [illegible] दें ।

6. पोस्ट ऑफिस से स्टेशन तक नाला निर्माण :-

15,74,692/- रू० की प्राक्कलित राशि के विरूद्ध 8,07,532/- रू० की राशि 12,10,492/- नगरपालिका, सीवान को उपलब्ध करायी गयी थी । समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया गया। ~~[illegible]~~ कार्य को यथास्थिति बन्द किया जाय । 07. 10. 98 की बैठक में निर्णय लिया गया जिसनाली की एक आंशिक प्राक्कलन 3,64,200/- हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई तथा कार्यपालक अभियंता, पी० एच० ई० डी० को ~~[illegible]~~ 3,00,000/- रू० दिया गया । पूरी राशि व्यय की गयी है। 3 लाख का उपयोगिता - प्रमाण पत्र प्राप्त है । यह कार्य [illegible] नहीं होने के कारण डी० पी० डी० सी० की दिनांक 7.10.98 की बैठक में योजना को यथास्थिति बन्द [illegible]

7. भीखपुर, भगवानपुर सड़क निर्माण :-

कार्यपालक अभियंता, पथप्रमण्डल को 1,80,990/- रू० के प्राक्कलन के विरूद्ध 1,25,000/- रू० की राशि दी गई । एजेन्सी द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया एवं करीब चार वर्षों के बाद पुनरीक्षण हेतु अनुरोध किया गया । कार्य समय पूर्ण नहीं किए जाने के दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता, पथ ~~[illegible]~~ से प्रमण्डल से अनुशंसा की मांग पत्रांक-267, दिनांक-5. 10. 98 से की गई तथा स्मार पत्रांक-357, दिनांक - 14. 12. 98, पत्रांक-187, दिनांक-19. 07. 99, पत्रांक-264, दिनांक-27. 11. 99, पत्रांक-48, दिनांक-22. 05. 2000, पत्रांक-116, दिनांक-31. 07. 2000 एवं पत्रांक-255, दिनांक-15. 11. 02 द्वारा किया गया है । परन्तु प्रतिवेदन अप्राप्त है । पत्रांक-1025, दिनांक-18. 11. 02 द्वारा उपयोगित प्रमाण पत्र 13062. 74 के लिए प्राप्त है। अवशेष राशि 111937. 26- चेक संख्या-43399, दिनांक-09. 12. 98 द्वारा वापस की जा चुकी है ।

दिनांक-07. 10. 98 की डी० पी० डी० सी० की बैठक में इस योजना को यथास्थिति बन्द करने का निर्णय लिया जा चुका है ।

8. कौसड़ सड़क निर्माण, रघुनाथपुर :-

पथ निर्माण की प्राक्कलित राशि 2,46,400/- रू० के विरूद्ध 1,00,000/- रू० की राशि विमुक्त की गई । प्राप्त राशि के विरूद्ध 14,695. 83 पैसे का व्यय गया है । करीब चार वर्षों के बाद प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव दिया गया ।

कार्य विलम्ब हेतु दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु अनुशंसा भेजने के लिए कार्यपालक अभियंता,पथ प्रमंडल को क्रमांक-7 की योजना के सम्बन्ध में लिखित पत्रों एवं स्मारों द्वारा निदेश दिया गया । परन्तु अभी तक कार्यपालक अभियंता,पथ प्रमण्डल से प्रतिवेदन अप्राप्त है । उपयोगिता प्रमाण पत्र 14,695.83 का पत्रांक-1025,दिनांक -18.11.2002 द्वारा प्राप्त है ।

07.10.98 के डी0 पी0 डी0 सी0 की बैठक में इस योजना को यथास्थिति बन्द करने का निर्णय लिया जा चुका है । -66797.74 पैसा वापस लिया गया है ।

9. हरिजन टोली कौसड़ पथ निर्माण :-

71,600/- रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के विरूद्ध 50,000/- रू0 विमुक्त किया गया परन्तु मात्र 33,735/- रू0 का व्यय किया गया । पूर्व की दो योजनाओं की तरह इस योजना के कार्यान्वयन के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिवेदन की मांग क्र0-7 के अन्तर्गत वर्णित पत्रों से की गई है । परन्तु प्रतिवेदन अप्राप्त है । -- 33,735/- रू0 का उपयोगिता प्रमाण पत्र पत्रांक-1025,दिनांक-18.11.2002 से प्राप्त है । अवशेष राशि 16,265/- रू0 वापस कर दिया गया है ।

दिनांक-07.10.98 की बैठक में इस योजना को यथास्थिति बन्द करने का निर्णय लिया गया है ।

10. सीवान शहर में फीडर पाईप निर्माण :-

प्राक्कलित राशि 2,39,450/- रू0 के विरूद्ध 1,00,000/- रू0 की राशि विमुक्त की गई । कराए गए कार्य की गुणवत्ता की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता,लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण,सारण को पत्रांक-12,दिनांक-20.01.97,पत्रांक-266,दिनांक-5.10.98,पत्रांक-350,दिनांक-14.12.98,पत्रांक-188,दिनांक-9.7.99 एवं पत्रांक-245,दिनांक 31.10.2002 द्वारा अनुरोध किया गया है । प्रतिवेदन अप्राप्त है । कार्यपालक अभियंता के कार्यान्वयन में 1,31,762/- रू0 का व्यय प्रतिवेदित है । कराये गये कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त है । उपर्युक्त स्मारों के बावजूद जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है । इस योजना को केन्द्रीय योजना में शामिल कर लेने के कारण दिनांक-07.10.98 की जिला योजना एवं विकास परिषद की बैठक में योजना को यथास्थिति बन्द करने का निर्णय लिया जा चुका है ।

11. स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन,कृष्णापुरी,दरौली :-

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,दरौली को 70,000/- रू0 की प्राक्कलित राशि के विरूद्ध 35,000/- की राशि उपलब्ध करायी गई । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरौली द्वारा मात्र-26,000/- रू0 ही व्यय किया गया । व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बार बार स्मारित करने के बावजूद भी अप्राप्त है । योजना निधि के अभाव में अपूर्ण है ।

दिनांक-07.10.98 की जिला योजना एवं विकास परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार योजना को पूर्ण कराने हेतु संशोधित प्राक्कलन बनाने का निर्णय लिया गया । तदनुसार पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,द

को विभिन्न पत्रों द्वारा स्मारित किया गया है । जिला योजना मद में विगत कुछ वर्षों से आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण योजना पूर्ण नहीं करायी गई । निधि उपलब्ध होने पर योजना को पूर्ण करा ली जायेगी ।

12. कुवरी संस्कृत स्कूल से भीखपुर भगवानपुर पथ निर्माण :-

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर को 3,15,000/-रु० की राशि प्राक्कलित राशि 4,77,000/- के विरुद्ध उपलब्ध करायी गई जो व्यय कर दिया गया प्रतिवेदित है । पत्रांक-265, दिनांक-5.10.98, 264, दिनांक-27.11.99, पत्रांक-48, दिनांक-22.5.2000 तथा पत्रांक-112, दिनांक-31.7.2000 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की गयी है जो अप्राप्त है । निरीक्षण के क्रम में तात्कालीक जिला पदाधिकारी द्वारा यथा-स्थिति बन्द करने का तथा [illegible]-उसी स्तर पर पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र देने का निदेश दिया गया था साथ ही दिनांक-07.10.98 को आयोजित जिला योजना विकास परिषद की बैठक में भी योजना को यथास्थिति बन्द कर देने का निर्णय लिया गया हुआ है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर के पत्रांक-शून्य दिनांक-19.11.02 को 314927/- रु० का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है ।

जिला पदाधिकारी,
सीवान ।

परिशिष्ट 'ग'

सं० यो० 02-4 (अंकेक्षण)/2002 3137 यो०वि०

योजना एवं विकास विभाग

प्रेषक

श्री कमलेश्वर गिरि,
सरकार के उप-सचिव ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा (लोक लेखा समिति),
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 14 अक्टूबर, 2006 ई० ।

विषय-- बिहार विधान-सभा की लोक लेखा समिति की उप-समिति (1) के संबंध में प्रतिवेदन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि योजना एवं विकास विभाग से संबंधित मात्र एक कंडिका वर्ष 2001-02 (सिविल) की कंडिका 3.9 है । यह कंडिका जिला योजना जहानाबाद के अधूरे तथा परित्यक्त योजनाओं अलाभकारी व्यय 48.49 लाख रुपये से संबंधित है ।

उक्त संबंध में दिनांक 7 जून, 2006 को लोक लेखा समिति की उप-समिति (1) की बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त उनके पत्रांक 154/यो०वि०, दिनांक 19 जुलाई, 2006 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

विश्वासभाजन,
कमलेश्वर गिरि,
सरकार के उप-सचिव ।

सं० 154 यो०
समाहरणालय जहानाबाद
(जिला योजना कार्यालय)

प्रेषक

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद ।

सेवा में

आयुक्त एवं सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

जहानाबाद, दिनांक 19 जुलाई, 2006 ई० ।

विषय -- बिहार विधान-सभा की लोक लेखा समिति की उप-समिति (1) के बैठक के संबंध में ।

प्रसंग--पत्रदीय पत्रांक 1907, दिनांक 10 जून, 2006 एवं अर्द्ध सरकारी पत्रांक 2019, दिनांक 28 जून, 2006 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि जिला योजना अनागत निधि से वर्ष 1996 तक स्वीकृत 47 योजनाओं की पूर्ण विवरणी पूर्व में इस कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार से भेजी जा चुकी है:—

अलाभकारी व्यय के संबंध में ।

इस कार्यालय के पत्रांक 137 (मु०), दिनांक 29 अगस्त, 2006 द्वारा उत्तर भेज दी गयी है । पुनः सुलभ प्रसंग हेतु उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है ।

2. 47 योजनाओं की पूर्ण विवरणी ।

इस कार्यालय के पत्रांक 71/यो०, दिनांक 24 अगस्त, 2002 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध करा दी गयी है । पुनः सुलभ प्रसंग हेतु उक्त पत्र की छाया प्रति एवं जिला योजना अनागत निधि से चल रही योजनाओं की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन संलग्न कर भेजी जा रही है ।

3. जनहित में उपयोग के संबंध में ।

इस कार्यालय के पत्रांक 106, दिनांक 12 नवम्बर, 2002 द्वारा उत्तर भेजी जा चुकी है । पुनः सुलभ प्रसंग हेतु उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है ।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

अनुलग्नक--यथोपरि ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद ।

24

कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता, जहानाबाद ।

(जिला योजना कार्यालय)

पत्रांक 137/85 जि०यो०

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद ।

सेवा में,

श्री राम विराजी ठाकुर,
सरकार के संयुक्त सचिव,
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना ।

जहानाबाद, दिनांक 29 वीं अगस्त, 2002.

विषय:- 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सम्मिलित करने के प्रस्ताव के संबंध में ।

प्रसंग:- आपका पत्रांक यो० प०-21 (अंकेक्षण)4/2002 /609 , पटना दिनांक 29.6.2002.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न महालेखाकार(ले०प०) बिहार, पटना का अर्द्ध सरकारी पत्र सं० रिपोर्ट (सिविल) ए.आर-2001-02 / I/99 दिनांक 5.6.02, जो महालेखाकार (ले०प०-II) बिहार एवं झारखंड, रांची के द्वारा परीक्षा प्रतिवेदन सं० 488 /2001-02 में संसूचित है, द्वारा जिला योजना अनाबद्ध निधि के क्रियान्वयन एवं जिला योजना एवं विकास परिषद द्वारा स्थगित 35 योजनाओं पर व्यय की गयी राशि मो० 59.70 लाख रुपये को (unfruitful) बताया गया है । इस संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं के तरफ ध्यान आकृष्ट करना है ।

1. वर्ष 1996 में राशि की उपलब्धता के संबंध में अभिलेखों के अवलोकन से जो स्थिति उभरती है उससे यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 93-94 में मात्र 15.79 लाख रुपये योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध हुई जबकि वर्ष 94-95 में किसी राशि का आवंटन विभाग द्वारा नहीं किया गया । वर्ष 92-93 में 79.91 लाख रुपये की राशि का आवंटन प्राप्त हुआ था तथा उसी को आधार मानते हुए 93-94 में 82.65 लाख रुपये तथा 94-95 में 2.29 लाख रुपये की नयी योजनायें ले ली गई। पूर्व से लम्बित योजनाओं तथा उक्त दोनों वर्षों में स्वीकृत योजनाओं का कार्य राशि की उपलब्धता की दृष्टि से पूर्ण करना सम्भव नहीं था, जिसके आलोक में दिनांक 16.8.95 को सम्पन्न डी.पी.डी.सी. की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया" जिला योजना के अन्तर्गत क्रियान्वयन की जा रही योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की चर्चा करते हुए जिला पदाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि इस जिले में विभिन्न 54 योजनायें लंबित/अधूरी पड़ी हुई हैं। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग इस जिले को 60-55 लाख रुपये की आवश्यकता है। विगत दो वर्षों से जिला योजना के तहत सरकार से कोई आवंटन नहीं मिल रहा है न ही निकट भविष्य में मिलने की सम्भावना है। साथ ही इन योजनाओं के कार्य को दूसरे विभाग से भी पूरा कराना सम्भव नहीं है---

"........" जिला योजना के मद्य सरकार से आवंटन प्राप्त नहीं होने की सम्भावना को देखते हुए जिला योजना की सभी अधूरी/लंबित योजनाओं की स्थल जाँच एवं भौतिक सत्यापन कराकर उन्हें यथास्थिति बंद कर देने का शीघ्र ही निर्णय परिषद द्वारा एवं सम्मति से लिया गया " ।
(उक्त कार्यवाही इस कार्यालय के पत्रांक 136 दिनांक 21.9.95 से निर्गत है ।)

2. प्रशासनिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात 35 स्थगित योजनाओं पर मापी पुस्तिका के आधार पर कितना कार्य हुआ है उसके संबंधित प्रतिवेदन को संबंधित एजेन्सियों से ली गई। यह प्रतिवेदन प्राप्त करने का उद्देश्य यह रहा कि योजनाओं पर वास्तव में वास्तविक कितना कार्य किया गया है इसका आंकलन हो सके। प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर मापी पुस्तिका के अनुसार किये गये कार्य की स्थिति निम्नवत है:-

क्रमांक	कार्यकारी एजेन्सी का नाम	योजनाओं की सं0	कुल प्रा0 रा0	कुल उ0 रा0	मापी पु0 के अनुसार व्यय	एजेन्सी द्वारा वापस की गई/ऐजेन्सी के पास उपलब्ध राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	कार्य0 अभि0, ग्रा0 अभि0 सं0 कार्य प्रमण्डल, जहानाबाद।	14	62,74,610/-	42,65,715/-	42,13,944/-	-
2.	कार्य0 अभि0 लोक स्वास्थ्य [illegible] प्रमण्डल जहानाबाद।	[illegible]	[illegible]	4,61,[illegible]18/-	2,17,[illegible]/-	1,86,047/-
3.	कार्य0 [illegible] जहानाबाद।	01	1,40,000/-	50,000/-	50,8[illegible]5/-	-
4.	कार्य0 अभि0 पथ प्रम0-1, जहानाबाद।	01	2,69,460/-	2,69,460/-	-	2,69,460/-
5.	प्रखण्ड विकास पदा0 अरवल।	01	9,000/-	9,000/-	-	
6.	जिलाधिकारी, अरवल	02	3,70,800/-	2,42,700/-	-	-
7.	प्रखण्ड विकास पदा0 कुर्था	03	2,20,000/-	1,11,299/-	-	-
8.	प्रखण्ड विकास पदा0 करपी	04	3,94,000/-	2,40,400/-	-	-
9.	प्रखण्ड विकास पदा0 मखदुमपुर	02	3,55,350/-	1,75,175/-	1,50,291/-	18,420/-
		35	85,05,130/-	58,25,667/-	46,32,760/-	4,75,927/-

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अरवल के पत्रांक 349 दिनांक 20.7.02 के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके यहाँ तीन मध्य विद्यालयों में एक-एक चापाकल गाड़ने की योजना क्रियान्वित नहीं की गई है। अतः 9000/- रुपये की राशि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अरवल के पास अवशेष है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी करपी के पत्रांक [illegible] दिनांक 29.6.2002 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दो विद्यालय भवनों का अवशेष कार्य तथा एक सामुदायिक भवन निर्माण की कार्य अन्य योजना से पूर्ण किया गया है । इस प्रकार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

घोसी द्वारा अन्य तीनों योजनाओं में जिला योजना से व्यय की गई राशि का अन्य योजना से कार्य पूरा कराकर सदुपयोग किया गया है। अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण बाराहिल गाड़ने की एक योजना (प्राक्कलित राशि 9000/-) की स्थिति प्रखंड विकास पदाधिकारी घोसी द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

3. उक्त प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट है कि पृच्छा (1) (2) (3) एवं (9) के कार्यकारी एजेन्सियों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कुल स्थगित 35 योजनाओं में से केवल 24 योजनाओं के विरुद्ध ही कुल 46,32,760/- रुपये मापी पुस्त के अनुसार वास्तविक व्यय हुआ है। उपलब्ध करायी गई राशि में से एक प्रखंड -। जहानाबाद से मो0- 2,69,460/- रुपये तथा मो0 18,420/- रुपये प्रखंड विकास पदाधिकारी, मखदुमपुर से वापस हो गया है। मो0 1,86,047/- रुपये कार्य0 अभि0 लोक स्वा0 प्र0 जहानाबाद के पास उपलब्ध है। इस प्रकार उपावंटित राशि मो0 58.256 लाख रुपये में से मो0 4,75,927/- रुपये व्यय किया गया है। अतः मापी पुस्तिका के अनुसार व्यय मो0 46.320 लाख एवं जिला स्तर, उपलब्ध मो0 4.759 लाख कुल 51.087 लाख का हिसाब उपलब्ध है। प्रखंड विकास पदाधिकारी घोसी, कुर्था तथा अंचलाधिकारी, अरवल से अभिलेख उपलब्ध होने पर शेष राशि का हिसाब उपलब्ध करा दिया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह0/-
जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

ज्ञापांक- 137/डी / दिनांक- 29-8-2002

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, एवं झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

96-97 में 35 [illegible] योजनाओं की सूची

क्र०	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृति वर्ष	विकास खण्ड	6	7	8	अभ्युक्ति
	[illegible] ग्राम के [illegible] पथ के पुलिया निर्माण।	[illegible]	[illegible]	[illegible]	462357/-	316500/-	316200/-	कार्य पूर्ण
	[illegible] पथ का पक्कीकरण (1 कि०मी०)							
	[illegible] से [illegible] तक पथ निर्माण।	,,	[illegible]	[illegible]	737000/-	600000/-	553500/-	कार्य पूर्ण।
	[illegible] पथ का पक्कीकरण। (2.05 कि०मी०)	,,	[illegible]	[illegible]	640000/-	442000/-	442000/-	[illegible]
	[illegible] पथ के [illegible] का पक्कीकरण (2.05 कि०मी०)	,,	[illegible]	[illegible]	595500/-	473500/-	493760/-	[illegible]
	[illegible] पथ का निर्माण (1 कि०मी०)	,,	91-92	[illegible]	949057/-	600000/-	600000/-	[illegible]
	[illegible] से [illegible] पथ का निर्माण। (2 कि०मी०)	,,	93-94	[illegible]	304500/-	76000/-	76000/-	[illegible]
	ग्राम [illegible] पथ [illegible] पथ निर्माण। (2 कि०मी०)	,,	90-91	[illegible]	459500/-	114750/-	160475/-	[illegible]
	ग्राम [illegible] पथ निर्माण।	,,	93-94	[illegible]	214300/-	133700/-	133700/-	1.5 कि०मी० में कार्य पूर्ण।
	[illegible] (1.96 कि०मी०)	,,	,,	,,	192500/-	190135/-	190135/-	[illegible]
	[illegible] के [illegible] तक पथ का निर्माण (1 कि०मी०)	,,	,,	[illegible]	395120/-	198775/-	198135/-	[illegible]
1	देवरा पथ में [illegible] पुलिया का निर्माण।							
2	[illegible] पथ में दो [illegible] पुलिया निर्माण।	,,	89-90	[illegible]	808600/-	808000/-	810689/-	पुलिया कार्य पूर्ण। [illegible]
3	[illegible] पथ में आर० सी० सी० पुलिया निर्माण।	,,	89-90	,,	216500/-	216500/-	199220/-	[illegible]
4	[illegible] पथ में [illegible] पास आर० सी० सी० पुलिया निर्माण।	,,	89-90	,,	216000/-	193690/-	130000/-	[illegible]
5	[illegible] में [illegible] का निर्माण।	,,	93-94	,,	283700/-	70615/-	—	[illegible]
6	[illegible] का निर्माण।	[illegible]	93-94	[illegible]	140000/-	85000/-	50530/-	[illegible]
7	[illegible] का निर्माण।	[illegible]	[illegible]	[illegible]	140000/-	95500/-	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	,,	,,	,,	140000/-	50600/-		
9	ग्राम [illegible] में [illegible] निर्माण।	,,	92-93	,,	9000/-	9000/-	[illegible]	[illegible]
10	ग्राम [illegible] में [illegible] निर्माण।	,,	93-94	,,	15792/-	15900/-	15913/-	पूर्ण।
11	[illegible] कार्यक्रम के [illegible]	[illegible]	91-92	[illegible]	786[illegible]	39670/-	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		92-93		[illegible]	9300/-	[illegible]	[illegible]

27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. [illegible] पट-पाका का [illegible]		[illegible] कुर्रा			140[illegible]			अविवेदन [illegible] जिला पदा० भरतल के [illegible] हेतु अनुरोध किया जा रहा है।
24. [illegible]		[illegible] मझगुरु, मझगुरु			210004/-	10250/-	7744/-	पठेन की सर्पत्ति [illegible] का निर्माण [illegible] दिया गया है।
25. [illegible] के [illegible] की ओपमा।		,,	,,	,,	145350/-	72121/-	71499/-	कार्य पूर्ण हो गया है।
26. अनु० जाति के टोले में [illegible] की [illegible] जोड़ने की योजना।		[illegible] भरतल			9000/-	9000/-	—	
								कार्य आरम्भ नहीं हुआ।
27. ग्राम [illegible] [illegible] पर मिट्टी भरी का कार्य।		[illegible] भरतल	92-93	,,	200000/-			
28. [illegible] हरिजन टोली में पाँच सिटेड शौचालय निर्माण।		,,	93-94	,,	170600/-	—	—	अभिवेदन [illegible] जिला पदा० भरतल के अवेदन हेतु अनुरोध किया जाता है।
29. अंबेदकर नगर में	,,	,,	,,	कार्य० अभि०, लोक स्वा० अभि०, [illegible] 87-88	65405/-	65405/-	36295/-	कार्य० अभि०, लोक स्वा० अभि० तथा अपने पत्रांक 1024 दिनांक [illegible] को अभिवेदित किया गया है कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पाँच सीटों वाला शौचालय का निर्माण कराया गया था। [illegible] कार्य [illegible] जनता [illegible] नहीं है। [illegible] समय बीत गया है, [illegible] स्थानों पर [illegible] के अभाव में शौचालय [illegible] नहीं [illegible] है।
30. कुर्था मुसहरावा में	,,	,,	,,	,,	86-87 ,,	65364/-	65364/-	64626/-	
31. [illegible] हरिजन टोली में	,,	,,	,,	,,	87-88 कुर्था	65405/-	65405/-	46509/-	
32. [illegible] हरिजन टोली में	,,	,,	,,	,,	87-88 ,,	65405/-	65405/-	42335/-	
33. [illegible] में	,,	,,	,,	,,	88-89 ,,	73981/-			
	,,	,,	,,	,,	87-88 ,,	65355/-	65355/-		
[illegible] मझगुरु [illegible] मुसहरावा में	,,	,,	,,	,,	87-88 मझगुरु	63000/-	63000/-	27961/-	
[illegible] के [illegible] नाली निर्माण।				कार्य० अभि०, लोक स्वा० [illegible] भरतल प्र० 1, औरंगाबाद।		267460/-	267460/-	राशि अप्राप्त	

नोट:- स्तम्भ "8" में दर्शायी गई कुल व्यय की राशि, कार्यकारी एजेन्सियों से प्राप्त अभिवेदन के आधार पर [illegible] के अनुसार [illegible] दर्शाई गई है।

[illegible] [illegible] जिला पदाधिकारी

योजना अनापत्ति [illegible] [illegible]

[illegible] रही है।

सं० यो० 02-41 (अंकेक्षण) 2002-1790
योजना एवं विकास विभाग

प्रेषक

श्री उदय नारायण ठाकुर,
संयुक्त-सचिव ।

सेवा में

श्री शंभू दयाल सिंह,
उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 6 जून, 2006

विषय-- बिहार विधान-सभा की लोक लेखा समिति की उप-समिति (1) के बैठक के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि योजना एवं विकास विभाग से संबंधित मात्र एक कंडिका वर्ष 2001-02 (सिविल) की कंडिका 3.9 है । यह कंडिका जिला योजना जहानाबाद के अधूरे तथा परित्यक्त योजनाओं अलाभकारी व्यय 48.49 लाख रुपये से संबंधित है ।

2. विभागीय पत्रांक 1229, दिनांक 6 मई, 2003 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को भेजा गया है । दिनांक 5 जून, 2004 को वित्त विभाग में हुए समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन की 15 प्रतियां लोक लेखा समिति को एवं 5 प्रतियां महालेखाकार को विभागीय पत्रांक 1404, दिनांक 18 जून, 2004 द्वारा भेजी गयी है ।

अतः उक्त अनुपालन प्रतिवेदनों की छाया प्रतियां संलग्न कर दिनांक 7 जून, 2006 को लोक लेखा समिति की उप-समिति (1) की बैठक हेतु प्रेषित की जाती है ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
उदय नारायण ठाकुर,
संयुक्त-सचिव ।

सं० यो० 02-4 (अंकेक्षण) 2002-1404 यो०वि०
योजना एवं विकास विभाग

प्रेषक

श्री उदय नारायण ठाकुर,
सरकार के उप-सचिव ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा (लोक लेखा समिति),
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 18 जून, 2004 ई० ।

विषय-- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष, 2001-02 के प्रतिवेदन (सिविल) में निहित कंडिका संख्या 3.9 का अनुपालन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष, 2001-2002 (सिविल) की कंडिका संख्या 3.9 योजना एवं विकास विभाग से संबंधित है । जहानाबाद जिला योजना से संबंधित यह कंडिका प्रस्तावित प्रारुप कंडिका के रूप में प्राप्त हुआ था जिसका प्रत्युत्तर विभागीय पत्रांक 1229, दिनांक 6 मई, 2003 द्वारा महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड, पटना को भेजा चुका है ।

2. अवर-सचिव, वित्त विभाग के कार्यालय कक्ष में दिनांक 5 जून, 2004 को आयोजित बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई । जिसमें निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन की 15 प्रतियां लोक लेखा समिति एवं 5 प्रतियां महालेखाकार को भेज दी जाय । अतःलोक में प्रतिवेदन की 15 प्रतियां कंडिका के निष्पादनार्थ संलग्न है ।

विश्वासभाजन,
उदय नारायण ठाकुर,
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञापांक 1404

दिनांक 18 जून, 2004

प्रतिलिपि--महालेखाकार (लेखा परीक्षा-I), भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, बिहार, पटना को प्रतिवेदन की 5 प्रतियां संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उदय नारायण ठाकुर,
सरकार के उप-सचिव ।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

संख्या योज० क०-214(अंकेक्षण)2002 पटना, दिनांक मई, 2

प्रेषक,

श्री अनिल कुमार वर्मा,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

श्री धीरेन्द्र कुमार,
महालेखाकार(लेखा परीक्षा-2),
भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग,
बिहार एवं झारखंड, पटना ।

विषय:- 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित न करने के लिए अप्रकाशित प्रारूप कंडिका के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंधित आपके अर्ध सरकारी पत्र संख्या रिपोर्ट(सिविल) ए० आर० 2001-02) 1300 दिनांक 8-6-2002 द्वारा प्रेषित अप्रकाशित प्रारूप कंडिका में अंकित तथ्यों के संबंध में कहना है कि 35 अधूरी [illegible] योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल 55,62,[illegible].00 रुपये स्वीकृति की उपलब्ध करायी गई थी जिसके [illegible] के अनुसार 51,5[illegible].00 रु० व्यय हुए थे। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त राशि का व्यय [illegible] पर हुआ था। जिला पदाधिकारी, [illegible] ने अपने पत्रांक 1061 दिनांक 12-11-2002 द्वारा बताया है कि कार्यपालक अभियंता, [illegible] के पत्रांक 50 दिनांक 31-[illegible]-2002, [illegible] तथा कार्यपालक अभियंता, [illegible] के पत्रांक 50, दिनांक 8-8-02 तथा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के पत्रांक 1024 दिनांक 7-11-02 के द्वारा सूचित किया है कि आवंटित राशि के अनुसार योजनाओं पर जिस स्तर का कार्य हुआ है उसी अनुपात में कार्यान्वित की गयी है अतएव योजनाओं पर किये गये व्यय को निरर्थक कहना उचित प्रतीत नहीं होता है।

जिला योजना एवं विकास परिषद द्वारा अधूरी योजनाओं को यथा स्थिति में बंद करने का निर्णय लेने का आधार यह है कि परिषद द्वारा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अधूरी योजनाओं को पूर्ण करने हेतु [illegible]-45 लाख रुपये की आवश्यकता है और विगत वर्षों से जिला योजना मद में राशि का आवंटन नहीं हो रहा है अतः परिषद द्वारा पूर्वोक्त योजनाओं को यथा स्थिति में बन्द करने का निर्णय लिया गया ।

25

32

जिला स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिला-जिला शिक्षा योजना एवं विकास परिषद के गठन हेतु सरकार द्वारा निर्णय ले [illegible] स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के आलोक में नयी-नयी शिक्षा योजना एवं विकास परिषद द्वारा [illegible] के कार्यालय में निर्धारित [illegible] है और इनका कार्यान्वयन भी कराया जाता है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में [illegible] के निर्माण [illegible] परियोजना के प्रतिवेदन में सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान [illegible] करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(मनोज कुमार शर्मा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 1229 दिनांक 6.5.03

प्रतिलिपि:- श्री के0सी0 सिंह, सह वित्त आयुक्त(व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 9587 दिनांक 27-11-2002 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/5/2003

(मनोज कुमार शर्मा)

सरकार के उपसचिव।

पत्रांक 532, दिनांक 23 फरवरी, 2007
सं० यो०व० 2/1 (लो०ले०)/2006-3931-यो०वि०
योजना एवं विकास विभाग

प्रेषक

श्री कमलेश्वर गिरि,
सरकार के उप-सचिव ।

सेवा में

श्री मो० जैनुल,
उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 ई० ।

विषय-- वर्ष 2001-02 की कंडिका संख्या 3.9 का अनुपालन ।

महाशय,

दिनांक 28 नवम्बर, 2006 को सम्पन्न बिहार विधान-सभा की लोक लेखा समिति की उप-समिति (1) की बैठक में वर्ष 2001-02 की कंडिका संख्या 3.9 की चर्चा के क्रम में तीन बातें पूछी गयी है । उक्त तीन बिन्दुओं पर एक विवरणी तैयार कर संलग्न है ।

कृपया प्रति स्वीकार की जाय ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
कमलेश्वर गिरि,
सरकार के उप-सचिव ।

वर्ष 2001-02 की कंडिका संख्या 3.9 के अनुपालन में बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति की उप समिति(1) द्वारा
दिनांक 28.11.2006 के बैठक में माँगी गयी सूचनाएँ

वर्ष 1996 तक स्वीकृत योजनाओं की		इन योजनाओं पर वर्षवार भुगतान										योग	योजनाओं की कालावधि वर्ष
संख्या	प्राक्कलित राशि	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1998-99	1999-2000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	8505936.00	84626.00	282481.00	0.00	1859689.00	1303109.00	600000.00	65536.00	975779.00	0.00	0.00	5151220.00	1
12	4784450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817218.00	1768930.00	1354059.00	3940207.00	1

अनुलग्नक ।
सं० 293 मु०/जि० यो०
जिला योजना कार्यालय

प्रेषक

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद ।

सेवा में

सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

जहानाबाद, दिनांक 27 अगस्त, 2007

विषय-- बिहार विधान-सभा की लोक लेखा समिति की उप-समिति (1) की बैठक में दर्ज किए गए प्रतिवेदन की कंडिका 3.9 के संबंध में ।

प्रसंग--भवदीय पत्रांक 2134, दिनांक 4 जुलाई, 2007

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिला योजना अनाबद्ध निधि से मार्च 1996 तक चलाई गई एवं कुल योजना में से जिला योजना एवं विकास परिषद् द्वारा 35 स्थगित योजनाओं पर अंकेक्षण दल द्वारा उठाई गई आपत्ति के संबंध में सम्बंधित कार्यकारी एजेन्सियों से अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्यार्थ भेजी जा रही है । कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 35 स्थगित योजनाओं में से चार योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका, जिससे राशि वापस की कार्रवाई की जा रही है । शेष 31 योजनाओं पर उपलब्ध करायी गयी राशि से, कराये गये कार्य से आम जनता संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार लाभान्वित हो रही है ।.

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

अनुलग्नक--यथोपरि ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद ।

जिला योजना अनाबद्ध निधि से 1996-97 तक 35 स्थगित योजनाओं का विवरण

		कार्यकारी एजेंसी	वर्ष	प्रखंड	प्राक्कलित राशि	उपावंटित राशि	कुल व्यय	अवशेष व्यय	भौतिक स्थिति	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible]गनी ग्राम से अरराही विगहा पथ में पुलिया निर्माण।	कार्य० अभि० ग्रा० अभि० सं०, जहानाबाद।	1989-90	घोसी	442353.00	316200.00	316200.00	0.00	कार्य० अभि० ग्रा० कार्य विभाग, जहानाबाद के पत्रांक 1084 दिनांक 16-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। कार्य पूर्ण, किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है तथा योजना पर किया गया व्यय लाभकारी है।	
2	इब्राहीमपुर नोआवाँ पथ का पक्कीकरण (1 कि०मी०)		"	कुर्था	737000.00	552800.00	552800.00	0.00	कार्य० अभि० ग्रा० कार्य विभाग, जहानाबाद के पत्रांक 1084 दिनांक 16-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। कार्य पूर्ण, किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है तथा योजना पर किया गया व्यय लाभकारी है।	
3	निरंजनपुर से कपता ग्राम तक पथ निर्माण।	"	1990-91	अरवल	442000.00	442000.00	442000.00	0.00	कार्य० अभि० ग्रा० कार्य विभाग, जहानाबाद के पत्रांक 1084 दिनांक 16-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। 0.7 कि०मी० में कालीकरण कार्य पूर्ण, किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है तथा किया गया व्यय सार्थक है।	
4	पिपरा छतियाना पथ का पक्कीकरण (2.05 कि०मी०)	"	"	मखदुमपुर	694350.00	472500.00	493760.00	-21260.00	कार्य० अभि० ग्रा० कार्य विभाग, जहानाबाद के पत्रांक 1084 दिनांक 16-0[illegible] द्वारा प्रतिवेदित। 2 कि.मी. में [illegible] कि.मी. में कालीकरण कार्य, किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है तथा योजना पर किया गया व्यय सार्थक है।	21260.00 रु० अधिक व्यय [illegible]
5	मेहन्दिया शहर तेलपा पथ के बचे अंश का पक्कीकरण (2.05 कि.मी.)	"	1991-92	अरवल	994057.00	600000.00	600000.00	0.00	कार्य० अभि० ग्रा० कार्य विभाग, जहानाबाद के पत्रांक 1084 दिनांक 16-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। 01 कि.मी. में कालीकरण कार्य पूर्ण, किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है तथा योजना पर किया गया व्यय लाभकारी है।	

36

		कार्यकारी एजेंसी	वर्ष	प्रखंड	प्राक्कलित राशि	उपावंटित राशि	कुल व्यय	अवशेष व्यय	भौतिक स्थिति	अभ्युक्ति
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	...पथ का ...(1कि.मी.)	"	1993-94	मखदुमपुर	304000.00	76000.00	76000.00	0.00	कार्य० अभि० ग्रा० कार्य विभाग, जहानाबाद के पत्रांक 1084 दिनांक 16-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। 0.5 कि.मी. में मिट्टी कार्य 0.5 कि.मी. में ग्रेड 1 कार्य हुआ है, किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है तथा योजना पर किया गया व्यय सार्थक है।	
7	मंगराहार से भीठा बांध तक पक्का कोठिया मानिकपुर तक पथ निर्माण।	"	1990-91	कुर्था	454500.00	114750.00	160475.00	-45725.00	कार्य० अभि० ग्रा० कार्य विभाग, जहानाबाद के पत्रांक 1084 दिनांक 16-08-07 द्वारा प्रतिवेदित 0.60 कि. मी. मिट्टी कार्य। स्टोन मेटल बिछाई पूर्ण किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा	आवंटन से अधिक 45675 रु० अधिक व्यय प्रतिवेदन के क्रमांक 13 एवं 14 से की गई है।
8	ग्राम सैदाबाद पथ से लाजो लोदीपुर गोसाइपुर कच्ची पथ निर्माण।	"	1993-94	काको	214800.00	133700.00	133700.00	0.00	कार्य० अभि० ग्रा० कार्य विभाग, जहानाबाद के पत्रांक 1084 दिनांक 16-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। 1.5 कि.मी. में कार्य पूर्ण किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है तथा किया गया व्यय सार्थक है।	
9	ग्राम बढ़की पुरवी टोला ...स्थान से ग्राम ...तक पथ निर्माण।	"	"	"	142500.00	120125.00	120125.00	0.00	कार्य० अभि० ग्रा० कार्य विभाग, जहानाबाद के पत्रांक 1084 दिनांक 16-08-07 द्वारा प्रतिवेदित 1 01 कि.मी. में मिट्टी कार्य, ह्यूम पाईप कार्य पूर्ण, किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है।	
10	सिकरिया से मान्दे बिगहा तक पथ का निर्माण (1 कि.मी.)	"	"	जहानाबाद	395100.00	198775.00	198775.00	0.00	कार्य० अभि० ग्रा० कार्य विभाग, जहानाबाद के पत्रांक 1084 दिनांक 16-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। 1.00 कि०मी० में ग्रेड 1,11 पूर्ण. किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है तथा किया गया व्यय सार्थक है।	
11	...पथ में तीन पुलिया का निर्माण।	"	1989-90	घोसी	898000.00	808200.00	810689.00	-2489.00	कार्य० अभि० ग्रा० कार्य विभाग, जहानाबाद के पत्रांक 1084 दिनांक 16-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। दो पुलिया कार्य पूर्ण। एक पुलिया का पहुँच पथ का कालीकरण शेष। किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है।	प्राप्त आवंटन से 2489 रु० की अधिक व्यय क्रमांक 14 की राशि से की गई।

		कार्यकारी एजेंसी	वर्ष	प्रखंड	प्राक्कलित राशि	उपावंटित राशि	कुल व्यय	अवशेष व्यय	भौतिक स्थिति	अभ्युक्ति
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	बिगहा कोर्ट अमितपुर पथ में आर०सी०सी० पुलिया निर्माण- दो अदद	"	1987-88	"	216500.00	116560.00	129220.00	-12660.00	कार्य० अभि० ग्रा० कार्य विभाग, जहानाबाद के पत्रांक 1084 दिनांक 16-08-07 द्वारा प्रतिवेदित एक पुलिया निर्माण कार्य पूर्ण। उक्त पुलिया का लाभ जनता को मिल रहा है। एक पुलिया का कार्य नहीं हुआ पुनरीक्षित प्राक्कलन समर्पित ।	प्राप्त आवंटन से 12560 रू० का अधिक व्यय क्रमांक 14 की राशि से की गई।
13	मंटा ग्रामीण पथ में आर०सी०सी० पुलिया निर्माण।	"	1989-90	"	216100.00	194490.00	180000.00	14490.00	कार्य० अभि० ग्रा० कार्य विभाग, जहानाबाद के पत्रांक 1084 दिनांक 16-08-07 द्वारा प्रतिवेदित । पुलिया ढलाई पूर्ण विंगवाल भूमि विवाद के कारण नहीं हुआ। उक्त पुलिया का लाभ आम जनता को लाभ मिल रहा है।	आवंटन का अवशेष राशि 14490 रू० प्रतिवेदन क क्रमांक 7 की योजना में व्यय की गई।
14	घोसी इसलामपुर पथ में शर्मा के पास आर०सी०सी० पुलिया निर्माण।	"	1993-94	"	282700.00	70675.00	0.00	70675.00	कार्य० अभि० ग्रा० कार्य विभाग, जहानाबाद के पत्रांक 1084 दिनांक 16-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। कार्य प्रारंभ नहीं हो सका।	कुल आवंटित राशि 70675 रू० का उपयोग प्रतिवेदन के क्रमांक 11,12,01,07 तथा अन्य योजना पर की गई।
15	मठोर आहर में आउटलेट का निर्माण।	कार्य अभि० लघु सिंचाई, जहानाबाद।	1993-94	मैनपुर	140000.00	50000.00	50838.00	-838.00	कार्य० अभि० लघु सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद के पत्रांक 937 दिनांक 17-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है। शेष योजना अपूर्ण	
16	प्रा० वि० सलेमपुर का निर्माण।	प्र० वि० पदाधिकारी, घोसी	1990-91	घोसी	114000.00	90600.00	90600.00	0.00	कार्य पूर्ण, प्र० वि० पदाधिकारी, घोसी के पत्रांक 768 दिनांक 21-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है तथा योजना पर किया गया व्यय लाभकारी है।	
17	प्रा० वि० बिहुरी का निर्माण।	"	"	"	114000.00	90800.00	90800.00	0.00	कार्य पूर्ण, प्र० वि० पदाधिकारी, घोसी के पत्रांक 768 दिनांक 21-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है तथा योजना पर किया गया व्यय लाभकारी है।	

25/41

क्र०	योजना	कार्यकारी एजेंसी	वर्ष	प्रखंड	प्राक्कलित राशि	उपावंटित राशि	कुल व्यय	अवशेष व्यय	भौतिक स्थिति	अभ्युक्ति
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible] कार्यालय के [illegible] तीन प्र0 वि0 में एक-एक चापाकल गाड़ने की योजना।	"	1992-93	"	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोसी के पत्रांक 768 दिनांक 21-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है राशि वापस की जा रही है।	
19	ग्राम भारथु में सामुदायिक भवन निर्माण।	"	1993-94	"	159200.00	159200.00	159136.00	64.00	प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोसी के पत्रांक 768 दिनांक 21-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। कार्य पूर्ण, किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है तथा योजना पर किया गया व्यय लाभकारी है।	
20	चंदपोखर से लखे, बिनहा पईन मी. की सफाई तथा खरियारी बाँध पर नहका का निर्माण।	प्र0 वि0 प्र0 मखदुमपुर	1993-94	मखदुमपुर	210000.00	102500.00	77616.00	24884.00	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मखदुमपुर के पत्रांक कैम्प - 01 दिनांक 23-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। पईन की सफाई आंशिक रूप से तथा नहका का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है। किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है।	
21	किसौरी पईन की उड़ाही।	"	1993-94	"	145350.00	72675.00	74799.00	-2124.00	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मखदुमपुर के पत्रांक कैम्प - 01 दिनांक 23-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। कार्य पूर्ण, किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है तथा योजना पर किया गया व्यय लाभकारी है।	
22	इस्की हरिजन टोली में पाँच सिटेड शौचालय निर्माण।	कार्य0 अभि0 लो0 स्वा0 प्र0 जहानाबाद	1987-88	नगर	65405.00	65405.00	36255.00	29150.00	कार्य० अभि० लोक स्वा० प्र० जहानाबाद पत्रांक 825 दिनांक 20-07-07 एवं पत्रांक 921 दिनांक 10-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पाँच सीटों वाला शौचालय का निर्माण कराया गया था। बनाये गये शौचालय द्वारा आम जनता लाभान्वित हो रही है तथा उक्त योजना पर किया गया व्यय सार्थक है।	
23	अंबेदकर नगर में पाँच सिटेड शौचालय निर्माण।	"	1986-87	"	81364.00	81364.00	78594.00	2770.00		
24	कुर्था मुख्यालय में पाँच सिटेड शौचालय निर्माण।	"	1987-88	कुर्था	65405.00	65405.00	46689.00	18716.00		

	कार्यकारी एजेंसी	वर्ष	प्रखंड	प्राक्कलित राशि	उपावंटित राशि	कुल व्यय	अवशेष व्यय	भौतिक स्थिति	अभ्युक्ति
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
... हरिजन टोली में पाँच सिटेड शौचालय निर्माण।	"	1987-88	"	65405.00	65405.00	42325.00	23080.00		
26 मखीकपुर हरिजन टोली में पांच सिटेड शौचालय निर्माण। (प्रतिवेदित नहीं)	"	1988-89	"	73984.00	0.00	0.00	0.00	कार्य० अभि० लोक स्वा० प्र० जहानाबाद पत्रांक 825 दिनांक 20-07-07 एवं पत्रांक 921 दिनांक 10-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। इस योजना पर उपावंटन प्राप्त नहीं है। अतः कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।	
27 ठाकुरबाड़ा में पांच सिटेड शौचालय निर्माण।	"	1987-88	"	65355.00	65355.00	0.00	65355.00	कार्य० अभि० लोक स्वा० प्र० जहानाबाद पत्रांक 825 दिनांक 20-07-07 एवं पत्रांक 921 दिनांक 10-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। बनने की कोई सूचना नहीं है।	
28 मखदुमपुर प्र० मुख्यालय में पांच सिटेड शौचालय निर्माण।	"	1987-88	मखदुमपुर	63000.00	63000.00	27962.00	35038.00	कार्य० अभि० लोक स्वा० प्र० जहानाबाद पत्रांक 825 दिनांक 20-07-07 एवं पत्रांक 921 दिनांक 10-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है। तथा उक्त किया गया व्यय सार्थक है। शेष योजना अपूर्ण।	
29 अनु० जाति के टोले में दो लाख रु० की लागत से चापाकल गाड़ने की योजना	अंचलाधिकारी, अरवल	1992-93	अरवल	200000.00	100000.00	100000.00	0.00	अंचल अधिकारी अरवल के पत्रांक 395 दिनांक 22-8-07 द्वारा प्रतिवेदित। कार्य पूर्ण, किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है तथा योजना पर किया गया व्यय लाभकारी है।	अंचल अधिकारी, अरवल के पत्रांक 395 दिनांक 22.08.07 द्वारा प्रतिवेदित
30 ग्राम खोहसा भवन पर मिट्टी भरने का कार्य।	"	1993-94	अरवल	170800.00	92700.00	91740.00	960.00	अंचल अधिकारी अरवल के पत्रांक 395 दिनांक 22-8-07 द्वारा प्रतिवेदित। कार्य पूर्ण, किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है तथा उक्त योजना का व्यय लाभकारी है।	
31 शि० स्वा० कार्यक्रम के तहत तीन म० वि० में एक-एक चापाकल गाड़ने का योजना।	प्र० वि० पदा० अरवल	1992-93	अरवल	9000.00	9000.00	8856.00	144.00	प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक 957 दिनांक 21-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। कार्य पूर्ण, किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है तथा योजना पर किया गया व्यय लाभकारी है।	

...म	कार्यकारी एजेंसी	वर्ष	प्रखंड	प्राक्कलित राशि	उपावंटित राशि	कुल व्यय	अवशेष व्यय	भौतिक स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	अरवल गाँधी पुस्तकालय से अरवल दक्ष नहर तक नाली निर्माण।	कार्य० अभि० पथ प्र० खं०, जहानाबाद।	1987-88	अरवल	269460.00	269460.00		269460.00	कार्य० अभि० पथ प्रमंडल जहानाबाद के पत्रांक 850 दिनांक 23-7-07 द्वारा प्रतिवेदित। योजना कार्यान्वित नहीं की गई है राशि वापस कर दी गई है।	
33	ग्राम नोआवाँ हरिजन टोली में नाली निर्माण।	प्र० वि० पदा० कुर्था	1991-92	कुर्था	71600.00	32899.00	60980.00	-28061.00	प्रखंड विकास पदाधिकारी कुर्था के पत्रांक 769 दिनांक 23-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है। शेष कार्य लम्बित।	
34	वि० स्वा० कार्यक्रम के तहत तीन म०वि० में एक-एक चापाकल गाड़ने की योजना ।	"	1992-93	कुर्था	9000.00	9000.00	5000.00	4000.00	प्रखंड विकास पदाधिकारी कुर्था के पत्रांक 769 दिनांक 23-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। दो चापाकल की योजना पूर्ण की गई तथा आम जनता को लाभ मिल रहा है। उक्त योजना पर किया गया व्यय लाभकारी है। एक योजना लम्बित, जिससे आम जनता को लाभ नहीं मिल पाया।	
35	झुनाठी से संधवा तक पथ निर्माण।	"	1993-94	कुर्था	140400.00	70200.00	35000.00	35200.00	प्रखंड विकास पदाधिकारी कुर्था के पत्रांक 769 दिनांक 23-08-07 द्वारा प्रतिवेदित। किये गये कार्य से आम जनता को लाभ मिल रहा है। शेष कार्य अपूर्ण जिससे जनता लाभान्वित नहीं हो पायं।	
	कुल :-	-		-	8675688.00	5780743.00	5290934.00	489809.00		

(हस्ताक्षर) 27/08/07

जिला पदाधिकारी,

जहानाबाद।

(हस्ताक्षर) 6.6.2019

सभापति,

लोक लेखा समिति

बि० स० मु० (एल० ए०) 25 – मोनो एल – 500.